



मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

// विज्ञप्ति //

क्रमांक : 86 / परीक्षा / 2021

जबलपुर, दिनांक- 12 / 07 / 2021

म0प्र0 उच्च न्यायालय में Horticulturist, Junior Judicial Assistant एवं Stenographer पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष-2021

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :	30 / 07 / 2021 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि :	30 / 08 / 2021 (11.55 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ होने की तिथि :	03 / 09 / 2021 (12.00 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार होने की अंतिम तिथि :	05 / 09 / 2021 (11.55 PM)
ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक :	बाद में अधिसूचित की जावेगी।

निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों (भारतीय नागरिक) से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

(एक)-नियमित पदों की संख्या :-

Sr. No.	Name of post	Category				Total Post
		UR	OBC	SC	ST	
1	Horticulturist	2	-	-	1	3
2	Junior Judicial Assistant	25+2(PH)	8	8+1 (PH)	10	51+3 (PH)
3	Stenographer	2	-	1	1	4

*उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

(दो)-पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें तथा आयु सीमा:-

High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, general conditions of services, conduct, classification, control and appeal) Rules, 2017" की "अनुसूची-एक" के "कॉलम क्र0-5, 6 & 7" के अनुसार निम्नानुसार है:-

पदनाम एवं वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	आयु सीमा दिनांक- 01.01.2021 तक
Horticulturist 9300-34800+ग्रेड पे 3600/-	Graduate in Horticulture or Graduate in Agriculture with specialization in Horticulture from any recognized University.	18-35 वर्ष

<p>Junior Judicial Assistant 5200-20200+ग्रेड पे 1900/-</p>	<p>1. Graduate from any recognized University. 2. Passed "Typewriting Examination in English and Hindi Languages from any recognized Board of Shorthand and Typewriting Examination or Valid CPCT Score Card from Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information & Technology (MAP-IT). 3. 01 Year Diploma in Computer Application from the institution recognized by the Government of Madhya Pradesh.</p>	<p>18-35 वर्ष</p>
<p>Stenographer 5200-20200+ग्रेड पे 1900/-</p>	<p>1. Graduate from any recognized University. 2. English Shorthand exam passed with speed of 80 W.P.M. from Board/Institution recognized by M.P. Government. And 3. Valid C.P.C.T. score card from M.P. Agency for Promotion of Information Technology (MAP-IT) or any other Agency/Institution recognized by the M.P. Govt. "Or" One year Diploma course passed in Computer Application from Institution recognized by M.P. Government.</p>	<p>18-40 वर्ष</p>

* सातवे वेतनमान के अनुसार Horticulturist का पे-मैट्रिक्स 36200-114800 तथा Junior Judicial Assistant एवं Stenographer का पे-मैट्रिक्स 19500-62000 होगा।

(तीन)-संबंधित पदों हेतु टीप :-

1. उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी0ए0, बी0कॉम0 या बी0एस0सी0 में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। (जैसा कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं0 1925/2010 (S) जबलपुर-राकेश यादव विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 तथा अन्य आई0एल0आर0 (2011) म0प्र0 1847 (डी0बी0) में अभिनिर्धारित किया गया है)

(चार)-आरक्षण संबंधी टीप:-

- (1) म.प्र. राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' करें। केवल म.प्र. के मूल निवासी आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(पांच)–चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :-

- (1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित वर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो—
 - (क) उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।
 - (ख) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नि या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।
 - (ग) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
 - (घ) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
 - (ङ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)
- (3) केन्द्र या राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्तकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता किसी भी प्रक्रम पर समाप्त कर दी जावेगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।
- (4) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।
- (5) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरुद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।
- (6) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में मूल फोटो परिचय-पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय-पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।
- (7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, म0प्र0 उच्च न्यायालय को होगा।
- (8) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है, या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (9) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज (उत्तीर्ण होने का) संलग्न नहीं करता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

- (10) ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई समस्त त्रुटियों के सुधार हेतु ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिन का समय प्रदान किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाईन फार्म में त्रुटि की है, वे उक्त त्रुटि को सुधार सकते हैं (यदि वह त्रुटि अनुज्ञेय है तो)।, तिथि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा तथा उपरोक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, मूलनिवासी, विकलांगता, लिंग, शासकीय कर्मचारी एवं वैवाहिक स्थिति के संबंध में की गई त्रुटि का सुधार नहीं होगा तथा संज्ञान में आने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी।
- (11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

(छ:)-अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

- (1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
- (2) प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या कराया हो, या
- (3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
- (4) चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
- (5) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (6) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (7) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (8) आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।
- (9) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
- (10) यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर या ऑनलाईन परीक्षा या साक्षात्कार के परीक्षा कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या कंप्यूटर या किसी तार, उससे जुड़े परिधीय या किसी फर्नीचर को कोई

नुकसान पहुंचाता है, किसी परीक्षा केंद्र की इमारत या कोई अन्य चीज, या परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति से बात करना या कंप्यूटर स्क्रीन, टेबल या अन्य उम्मीदवारों के कम्प्यूटर में झाँकना इत्यादि।

- (11) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना। मोबाइल फोन, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण/कैलकुलेटर/घड़ी प्रतिबंधित हैं और परिसर के मुख्य द्वार के अंदर अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई करेगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल हो सकता है, अथवा
- (12) अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है।

खण्ड "ब"

(क)– आवेदन–शुल्क :-

श्रेणी	परीक्षा शुल्क (अ)	सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क (ब)	योग (अ)+(ब)
अनारक्षित एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु (दिव्यांग को छोड़कर)	रु. 200 / –	रु. 722.16 / –	रु. 922.16 / – (नौ सौ बाइस रुपये सोलह पैसे)
आरक्षित वर्ग (केवल म.प्र. के मूल निवासी) एवं/अथवा दिव्यांग (विकलांग) आवेदकों हेतु	रु. 0 / –	रु. 722.16 / –	रु. 722.16 / – (सात सौ बाइस रुपये सोलह पैसे)

नोट :- (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रान्जेक्शन नियत समय के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं, तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(ख)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :-

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

आवेदन पत्र M0PRO उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् "Click on-Online Application Forms/Admit Cards" पर Click करें जिसमें उक्त पदों

की भर्ती का ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 04 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार है:-

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application
4. Edit Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई0-मेल आई0डी0 में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है, बाद में त्रुटि-सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :-1. अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, मूलनिवासी, विकलांगता, लिंग, शासकीय कर्मचारी एवं वैवाहिक स्थिति के संबंध में की गई त्रुटियों का सुधार "त्रुटिसुधार हेतु निर्धारित समयावधि" में भी संभव नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी उक्त जानकारी को ध्यान से भरें तथा रजिस्ट्रेशन के उपरांत एक बार पुनः चैक कर लें।

2. कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022-61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें।

नोट:-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

खण्ड-"स"

(क)-परीक्षा की योजना :-

- (II) Horticulturist पद की भर्ती 02 चरणों में आयोजित की जावेगी,

1. ऑनलाईन परीक्षा (100 अंक) एवं 2. साक्षात्कार (30 अंक)।

यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन परीक्षा में अनुपस्थित होता है, तो उसे साक्षात्कार के लिये अयोग्य माना जावेगा, इस संबंध में अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदन को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

(III) Junior Judicial Assistant एवं Stenographer की भर्ती केवल एक (01) चरण में अर्थात् ऑनलाईन परीक्षा (100 अंक) आयोजित होगी।

(ख)–प्रवेश पत्र :- सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र सेवा प्रदाता (Service Provider) के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in में जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा/साक्षात्कार तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति-आवश्यक है, व्यतिक्रम में अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

(ग)–परीक्षा केन्द्र

1. सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में सेवा प्रदाता (Service Provider) का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।
2. यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा सत्र (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ)–ऑनलाईन परीक्षा का पाठ्यक्रम –

Post	Subject	Marks	Time
Horticulturist	Horticulture related questions+ Basic General Knowledge	85+15 = 100	120 Minutes
Jr. Judicial Assistant	Hindi Typing (300 words) + English Typing (350 words) + General English & Computer Knowledge	40+40+20=100	10 Min.+ 10 Min.+ 20 Min. =40 min
Stenographer	English Stenography Test (400 words) + 20 Que. of General English, Sentence Formation etc. + 10 Que. of Computer Application	70+20+10= 100	5 Min. (Dictation) + 25 Min. (Transcription)+ 20 Min. + 10 Min.= 60 Min.

नोट :-

- (1) परीक्षा की तिथियों एवं परीक्षा केन्द्र की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित (अपलोड) की जावेगी।
- (2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**– आवेदकों के लिये ऑनलाईन प्रश्न-पत्र को हल करने एवं ऑनलाईन टाईपिंग की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

- (3) स्टेनोग्राफर पद प्रवर्ग की ऑनलाईन परीक्षा में इस पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) हेतु 25 मिनट का समय दिया जायेगा। डिक्टेशन के पूरे भाग को कम्प्यूटर पर टाईप कराया जावेगा, जिसका प्रिंट-आउट अभ्यर्थी को नहीं निकालना है। इसके साथ ही General English, Sentence Formation etc. & Computer Application की परीक्षा भी ऑनलाईन आयोजित की जावेगी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) के रूप में होगी, संपूर्ण ऑनलाईन परीक्षा एक साथ ही आयोजित की जावेगी।
- (4) स्टेनोग्राफर पद प्रवर्ग की ऑनलाईन परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोट-बुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोट-बुक में डिक्टेशन Long Hand में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।
- (5) स्टेनोग्राफर पद की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि (गलत शब्द, स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि) पर 1/2 (0.5) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियाँ पाई जाती हैं, तो उसे शून्य (00) अंक प्रदान किये जावेंगे।
- (6) जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट की ऑनलाईन टाईपिंग परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 300 शब्दों का ऑनलाईन हिन्दी टाईपिंग मैटर एवं 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का ऑनलाईन अंग्रेजी टाईपिंग मैटर टाईप करना होगा, जिसके लिए 40-40 अंक निर्धारित हैं। इसके पश्चात् सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान का ऑनलाईन प्रश्नपत्र जो कि 20 अंकों का होगा, हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षण 40 मिनट का होगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का मूल्यांकन सी.पी.सी.टी. के मापदंडों के अनुसार किया जावेगा तथा सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन भी ऑनलाईन ही किया जावेगा।
- (7) जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट की परीक्षा में आयोजित ऑनलाईन हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का मूल्यांकन सी०पी०सी०टी० द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा एवं टाईपिंग की गति (NWPM) एवं शुद्धता (Accuracy) के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छोटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटियों पर 0.50 अंक काटे जावेंगे साथ ही प्रत्येक बैक-स्पेस पर 0.10 अंक भी काटे जावेंगे, तत्पश्चात् सामान्य अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जावेगी। टाईपिंग का मूल्यांकन सी०पी०सी०टी० के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा किया जावेगा, अतः उक्त संबंध उच्च न्यायालय में किसी भी प्रकार का पत्राचार/ई०मेल/अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (8) समस्त अभ्यर्थियों का हिन्दी टाईपिंग परीक्षण रेमिंगटन गेल (REMINGTON GAIL) में ही किया जावेगा। टाईपिंग कम्प्यूटर में अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में की जावेगी।
- (9) ऑनलाईन परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना की-बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी।

(सात) – आवश्यक सूचना :-

- (1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, तथा इसके बाद परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
- (2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय सत्र में होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (3) परीक्षा/साक्षात्कार केन्द्र में किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस, केलकुलेटर, मोबाईल, लिस्निंग डिवाइस, रिकार्डिंग डिवाइस, अलार्म वॉच, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि ले जाना प्रतिबंधित है। आवेदक अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पेन एवं पेन्सिल ले जा सकेगा।
- (4) अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडीकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो उसकी सूचना परीक्षार्थी को परीक्षा/साक्षात्कार के पूर्व परीक्षा सेल को देना होगी।
- (5) परीक्षार्थी ऑनलाईन परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।

(आठ)–टाईपिंग मूल्यांकन पद्धति:-

- (1) अभ्यर्थी को टाईप किये जाने वाला मैटर/Text/Content, Computer Screen पर ऑनलाईन दिखाई देगा, जिसे देखकर उसे उसी Screen में निर्धारित समय में टाईप करना होगा।
- (2) Screen पर कितना समय शेष है व कितने शब्द शेष हैं, इसकी जानकारी अभ्यर्थी को Screen पर मिलती रहेगी।
- (3) यदि अभ्यर्थी कोई शब्द को छोड़ देता है या गलत टाईप करता है तो कम्प्यूटर Screen पर वो शब्द लाल हो जायेंगे और यदि कोई शब्द छूट जाता है तो आगे के सभी शब्द लाल हो जायेंगे।
- (4) अभ्यर्थी यदि समय के पहले टाईपिंग कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसे Submit कर सकता है, अन्यथा 10 मिनट के बाद अपने आप Submit हो जाएगा।

(नौ)– ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम :-

1. उपरोक्त सभी पदों में आयोजित होने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है, उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर मुख्य परीक्षा पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति/स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के सात (07) दिनों के अंदर लिखित रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र अथवा ई0मेल के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं स्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो।

2. सभी पदों की परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। समान अंक होने की दशा में ऐसा अभ्यर्थी जो आयु में अधिक है, को वरीयता दी जावेगी।

(दस)–: आवेदन पत्र एवं दस्तावेज: –

1. सभी पदों के केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन व दस्तावेज मंगाये जावेंगे जो ऑनलाईन परीक्षा की मेरिट में स्थान प्राप्त करेंगे, प्रत्येक पद हेतु लगभग 1:3 (प्रति पद के लिये लगभग 03 अभ्यर्थी) में श्रेणीवार अभ्यर्थियों से एक तिथि निर्धारित करते हुए आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाये जावेंगे एवं इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें अपात्र किया जा सकेगा भले ही वे अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार चयनित किये जाने योग्य क्यों न हो, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी कटेगरी सहित लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन-पत्र भेजा जा रहा है, अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट अथवा उचित माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता संबंधित पद में स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन अथवा ई0मेल पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति-आवश्यक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने एवं चयन सूची में स्थान दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।
4. Horticulturist पदों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण कर पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उच्च न्यायालय की वेबसाइट में प्रदर्शित की जावेगी तथा एक तिथि निर्धारित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जावेगा।

(ग्यारह): Horticulturist पद का साक्षात्कार (30 अंक)

- (1) साक्षात्कार, जबलपुर में आयोजित किया जायेगा।
- (2) साक्षात्कार के लिये 30 अंक निर्धारित हैं।

- (3) साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- (4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा।

(बारह): — Horticulturist पद का अंतिम परिणाम :-

Horticulturist पद का अंतिम परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों (साक्षात्कार में प्राप्त अंकों सहित) मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

(तेरह): — Junior Judicial Assistant एवं Stenographer पद का अंतिम परिणाम :-

जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण कर श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद में चयनित हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति में उसका चयन उसके द्वारा दी गई वरीयता के क्रम पद में ही किया जावेगा।

नोट— सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि आवश्यक समझा जावे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(चौदह)

अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड/मार्कशीट म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड तथा अपने मोबाईल पर जनरेटेड O.T.P. दर्ज करना होगा।

टीपः—1. ऑनलाईन परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. परीक्षा के किसी भी चरण में अंकों की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा बिना कोई कारण बताए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

(पंद्रह)— प्रतीक्षा सूची (Waiting List) :-

प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र0 F6-07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक-14, जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

(सोलह)—नियुक्ति संबंधी टीपः—

- (1) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, जो कि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
- (2) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से स्वयं के व्यय से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(सत्रह)–यात्रा व्यय का भुगतान–

ऑनलाईन परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण परीक्षा में उपस्थित होने वाले किसी भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(अठारह)–शुद्धिपत्रः–

उक्त रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन “शुद्धिपत्र” के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित “शुद्धिपत्र” को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। “शुद्धिपत्र” की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

(उन्नीस)– सूचना के अधिकार के तहत जानकारीः–


अंतिम परिणाम जारी होने के बाद सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाईन परीक्षा की उत्तरपुस्तिका (Candidate Response) या स्टेनोग्राफर पद के डिक्टेसन की उत्तरपुस्तिका की जानकारी प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके अंतिम चयन सूची जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्राप्त कर सकता है। ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन अंतिम परिणाम घोषित होने के पहले पोषणीय नहीं होगा।

(बीस)– विनष्टीकरणः–

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर–पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन–पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(ईक्कीस)–कोविड–19 महामारी से संबंधित निर्देश :-

परीक्षा के विभिन्न चरणों यथा ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि के पूर्व अथवा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र अथवा नोटिस के माध्यम परीक्षा सेल द्वारा कोविड–19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा सेल द्वारा निरस्त की जा सकेगी


रजिस्ट्रार जनरल
